सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 29, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 20, *2024*	
Bhadra 29, Friday, Saka 1946- September 20, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 23, 2024

संख्या प. 2(50) वन/2024 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अंतर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नही किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चूकि इन कार्यो के संपादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख तथा साक्ष्य उसी प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नही आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित

किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से

(बीजो जॉय)

विशिष्ट शासन सचिव, वन

प्रथम अनुसूची

क्र सं	नाम वनखण्ड	नाम तहसील	नाम जिला	वनखण्ड का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	वनखण्ड के क्षेत्रफल का विवरण			सीमा	विशेष विवरण
					नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजासर भाटियान	छत्तरगढ़	बीकानेर	704.7185	केलां	पार्ट- I 454 455/2 1015/1 1016/1	30.6515 12.6450 174.3113 82.4707	पूर्व- काश्तकार पश्चिम- आबादी, काश्तकार उत्तर- काश्तकार दक्षिण- आबादी, काश्तकार	
					योग		300.0785 हैक्टर		
					सरदारपुरा	पार्ट- II 292/849	404.64	पूर्व- काश्तकार पश्चिम- गोचर उत्तर- आबादी दक्षिण- अराजीराज भूमि	

					कुल योग		704.7185 हैक्टर		

(धर्मपाल)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लूनकरणसर

(डॉ एस. सरथ बाबू IFS)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्ष

क्र.सं	वानस्पतिक नाम	हिन्दी नाम
1	Salvadora oleoides	जाल
2	Prosopis Cineraria	खेजड़ी
3	Zizyphus nummularia	बेर
4	Acacia nilotica	बबूल
5	Zizyphus mauritiana	बड़ा बेर
6	Tamarix articulata	फरास
7	Tecomella undulata	रोहिड़ा
8	Commiphora wightii	अर्ण
9	Acacia Tortalis	इजरायली बबूल
10	Azadirachta Indica, A. juss	नीम
11	Eucalyptus spp.	सफेदा
12	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
13	Dalbergia Sissoo	शीशम
14	Acacia Senegal	कुमठा
15	Salvadora persica	जाल पीलू
16	Calligonum polygonoides	फोग

17	Leptadenia pyrotechnica	खीप
18	Aerva pseudotomentosa	बुई
19	Halozylon salicornicum	लाना
20	Calotropis procera	आक
21	Acacia jacquemontii	बावली
22	Crotalaria burhia	सिणिया
23	Capparis Decidua	केर
24	Cordia rothii	गुन्दी
25	Maytenus emarginata	कांकेडी
26	Panicum antidotale	धन्कोड़
27	Lasiurus sindicus	सेवण
28	Cymbopogon jawarncusa	बुर घास
29	Panicum turgidum	भुरट
30	Dichanthium annulatum	गंठील घास, करड़

(धर्मपाल)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लूनकरणसर

(डॉ एस. सरथ बाबू IFS)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

परिशिष्ठ "क"

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नही होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड - राजासर भाटियान

नाम रेंज - लूनकरणसर

नाम वन मण्डल - उप वन संरक्षक, बीकानेर

1 संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण बारानी है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।

2 वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा वन विकास कार्य करवाया गया है इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।

3 वर्तमान में कुल क्षेत्र में वृक्षारोपण वर्ष 2005-06, 2010-11 एवं 2013-14 से 2015-16 में कराया गया है। इसमें कोई खनन कार्य नहीं हुआ है।

4 भूमि पर वृक्षों, झाड़ियों व घास का घनत्व 57 प्रतिशत है। इस वन खण्ड में सम्पूर्ण क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है। इस वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियां बेर, बांवली खेजड़ी, टोर्टलिस का लगभग 57 प्रतिशत है।

5 समीपवर्ती स्थित क्षेत्र आबादी, काश्तकार, गोचर व अराजीराज की भूमि है तथा चारों और सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 9 में अंकित कर दिया गया है।

6 वन खण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगत किया गया है।

7 प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8 उक्त वन विभाग की भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

(धर्मपाल)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लूनकरणसर

(डॉ एस. सरथ बाबू IFS)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

Government Central Press, Jaipur.